



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 13, 2017/आश्विन 21, 1939

No. 267]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 2017/ ASVINA 21, 1939

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

फा.सं. 6/6/2014-बी.आई.एस. (पार्ट III).—जबकि,

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 43 द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 को निरस्त किया जा चुका है;

2. और जबकि, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 39 के तहत विनियम बनाने की प्रक्रिया में कुछ और समय लग सकता है;

3. अतः, इसलिए, यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत नए विनियम जारी होने तक, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत बनाए गए विनियम और आदेश प्रभावी रहेंगे।

पी.वी. रामाशास्त्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD
AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

F. No. 6/6/2014-BIS (Pt. III).—Whereas, the Bureau of Indian Standards Act, 1986 has been repealed by Section 43 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016);

2. And whereas, the process of making regulations under section 39 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 may take some more time;

3. Now, therefore, it is hereby notified that till such time the new regulations are issued under the Bureau of Indian Standards Act, 2016, the regulations and orders made under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 shall have continued effect.

P.V. RAMA SASTRY, Jt. Secy.